न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 413/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– मांगीलाल पुत्र राजुराम 2– ताराचंद पुत्र राजुराम दोनो जाति ब्राह्मण गौड, निवासी जाखडा तहसील बायतु जिला बाडमेर		1– कुन्दनमल पुत्र गोपीलाल 2– अमरचंद पुत्र गोपीलाल 3– नारायणदास पुत्र गोपीलाल 4– श्रीमती पारू देवी बेवा गोपीलाल सभी जातियान माहेश्वरी, निवासी जाखडा, तहसील बायतु, जिला बाडमेर 5– ग्राम पंचायत खारडा भारतसिह जरिये सरपंच तहसील बायतु जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 27–9–2011 जो राजस्व अपील संख्या 9/2010 मे उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से ।
2– श्री के.सी.चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 25–10–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जाखडा तहसील बाडमेर हाल तहसील बायतु के खसरा नंबर 152 की 90 बीघा भूमि के खातेदार गोपीलाल पुत्र मेघराज कौम महाजन एवं राजूराम पुत्र कनीराम कौम ब्राह्मण सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त भूमि के सहखातेदार गोपीलाल पुत्र मेघराज अपने 1/2 हिस्से की भूमि का अनरजिस्टर्ड बेचान 1/– के स्टाम्प पर 49/– कीमतन मे दिनांक 17–8–60 को सह खातेदार राजूराम पुत्र कनीराम कौम ब्राह्मण को कर देने पर तहसीलदार बाडमेर के आदेश संख्या 3335 दिनांक 3–10–81 के अनुसार नामांतरकरण संख्या 107 पटवारी हल्का द्वारा भरा गया, जिस पर निरीक्षक भू अभिलेख की टिप्पणी के बाद सरपंच ग्राम पंचायत खारडा भारत सिह द्वारा दिनांक 11–10–81 को स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 107 ग्राम जाखडा के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2000 मे प्रथम अपील इस न्यायालय हाज़ा के समक्ष पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–9–2011 के द्वारा अपीलांट्स की अपील को स्वीकार कर ग्राम जाखडा का म्युटेशन संख्या 107 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बायतु को पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दिनांक 17–8–60 के अपंजीकृत बेचान की सत्यता व प्रमाणिकता की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण विधिवत जांच कर वर्ष 1981 मे स्वीकार किया गया था जिसकी जांनकारी रेस्पो0 को पूर्व से ही थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त म्युटेशन स्वीकृति के लगभग 20 वर्ष के विलंब से अपील प्रस्तुत की तथा इतने लंबे विलंब को क्षमा करने बाबत कोई ठोस एवं संतोषप्रद कारण रेकर्ड पर नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपील उपखण्ड अधिकारी बाडमेर मे पेश की थी तथा वहां विचाराधीन थी जिसे दिनांक 10–5–2010 को उपखण्ड अधिकारी बायतु के न्यायालय मे सुनवाई हेतु मुन्तकील कर दी जिसकी सूचना अपीलांटगण अथवा उनके अधिवक्ता को नही दी तथा न ही इस बाबत कोई सुनवाई का नोटिस ही उपखण्ड अधिकारी बायतु से अपीलांट के नाम से जारी हुआ । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि रेस्पो0गण ने अधीनस्थ न्यायालय मे म्युटेशन संख्या 107 को चुनौती दी है जबकि उक्त नामांतरकरण तो तहसीलदार बाडमेर के आदेश कमांक 3335 दिनांक 3–10–81 की पालना मे स्वीकृत किया है, ऐसे मे जब तक तहसीलदार बाडमेर के आदेश को निरस्त नही करवा दिया जाता तब तक म्युटेशन को निरस्त किया जाना न्यायोचित नही था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी इस बहस के समर्थन मे आर.आर.डी. 1988 पेज 628 की निर्णय नजीर पेश की ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन रेस्पो0 के स्व0 पिता गोपीलाल द्वारा अपीलांट के स्व0 पिता राजूराम के पक्ष मे किये गये बेचाननामे के आधार पर बाद जांच स्वीकार किया गया था, जिसकी जानकारी स्वयं रेस्पो0 को प्रारंभ से ही थी तथा अपीलाधीन भूमि पर रेस्पे0 का कभी कब्जा काश्त नही रहा बल्कि कब्जा प्रारंभ से ही अपीलांटगण का ही आज दिन तक चला आ रहा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन तमाम तथ्यो को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील का निर्णय पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब ही नही किया, जिसके तलब किये बिना अपील के गुणावगुण पर कोई विचार ही नही किया जा सकता था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 80 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का उल्लंघन करते हुए पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य होने से वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–9–2011 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलांट गण के पिता द्वारा अपीलाधीन भूमि वर्ष 1960 मे खरीदना बताते है जबकि म्युटेशन 20 वर्ष तक क्यो नही करवाया । वकील रेस्पो0 ने यह भी अपीलांटगण ही अपीलाधीन भूमि पर काश्त करते आ रहे है तथा पूर्व से ही फसल का हिस्सा देते आये है तथा जब वर्ष 2000 मे हिस्सा देना बंद किया तो अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी होने पर हमने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 के पिता के पक्ष मे निष्पादित बेचान का दस्तावेज फर्जी तैयार करवाया गया है तथा यह भी कथन किया कि अनरजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के आधार पर म्युटेशन इतने समय बाद क्यो भरवाया तथा यह भी कथन किया कि पटवारी एवं तहसीलदार ने बेचाननामे की जांच किये बिना ही अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांटगण की तामिल होने पर उनकी ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति दी थी परंतु उसके पश्चात अधिवक्ता उपस्थित ही नही हुए इसलिए अपीलांट का यह कथन कि उसे नोटिस तामिल नही हुए, गलत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन म्युटेशन तथा वकील अपीलांट द्वारा फार्म नंबर 3 के सलंग्न बहस के दौरान प्रस्तुत बेचान का दस्तावेज तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन भूमि के मूल सहखातेदार गोपीलाल वल्द मेघराज कौम महाजन ने अपने हिस्से की भूमि का अन रजिस्टर्ड बेचान 1/– के स्टाम्प पर 49/– कीमतन मे दिनांक 17–8–60 को सह खातेदार राजूराम पुत्र कनीराम कौम ब्राह्मण जो वर्तमान अपीलांटगण के पिता है, को कर देने पर तहसीलदार बाडमेर के आदेश संख्या 3335 दिनांक 3–10–81 के अनुसार नामांतरकरण संख्या 107 पटवारी हल्का द्वारा भरा गया, जिस पर निरीक्षक भू अभिलेख की टिप्पणी के बाद सरपंच ग्राम पंचायत खारडा भारत सिह द्वारा दिनांक 11–10–81 को स्वीकृत किया था, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना प्रकट है ।

इसके अलावा अपीलाधीन म्युटेशन जो कि वर्ष 1981 मे स्वीकृत हुआ था, उसके विरूद्ध लगभग 20 वर्ष के विलंब से अपीलाधीन भूमि के मूल खातेदार गोपीलाल वल्द मेघराज महाजन के पुत्रो द्वारा पेश की है तथा वह भी केता राजूराम की मृत्यु के पश्चात । रेस्पो0गण का यह कथन कि अपीलाधीन म्युटेशन अन रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत हुआ है, इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि बेचान 100/– से कम के मूल्य 49/– का होने से वह पंजीबद्ध होना अनिवार्य नही है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रकरण तहसीलदार बायतु को अपंजीकृत बेचान की सत्यता व प्रमाणिकता की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया है

जबकि तहसीलदार को बेचान दस्तावेज की सत्यता व प्रमाणिकता के बारे मे किसी प्रकार की फाईंडिंग देने का अधिकार नही है । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बायतु द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–9–2011 निरस्त किया जाता है तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 107 पर पारित स्वीकृति आदेश यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25–10–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

।